भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4778

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

4778. श्री जी.एम.हरीश बालयोगी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार, विशेष रूप से कोनासीमा जिला का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में उक्त प्रत्येक योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और जिला-वार, विशेष रूप से उक्त जिले का ब्यौरा क्या है और निधि का कम उपयोग होने से क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में निर्धारित तथा प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कोई कमियां पाई हैं, यदि हां, तो `तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) आंध्र प्रदेश में उक्त योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड): यूरिया सब्सिडी स्कीम जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित है। यूरिया सब्सिडी स्कीम के तीन घटक हैं, अर्थात स्वदेशी यूरिया, आयातित यूरिया और समान माल-भाड़ा सब्सिडी। इस स्कीम के तहत, किसानों को वर्तमान में यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जाता है। 45 किलो यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी है (नीम कोटिंग और लागू करों के शुल्कों को छोड़कर)। फार्म गेट पर यूरिया की वितरित लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतराल भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के किसानों सहित देश के सभी किसानों को सब्सिडी दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार वे इस स्कीम के लाभार्थी हैं।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम, एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम भी लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और कंपनियां उचित स्तर पर अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, मौसम के दौरान अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों की पी.ओ.बिक्री पर उत्पादक/आयातक को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को सामान्य मुक्त लाइसेंस (ओजीएल) के तहत कवर किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस स्कीम आंध्र प्रदेश राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर समान रूप से लागू की जाती है और इसमें कोई क्षेत्रीय विभेदन नहीं किया जाता है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य सतत और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है।

आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बचाई की गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के बराबर प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। कुल अनुदान में से 95 प्रतिशत राज्य को आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष 5 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा। राज्यों को प्रदान किए गए 95% अनुदान में से, 65% पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) परियोजनाओं के लिए है, अधिमानतः केंद्र प्रायोजित स्कीमों में योगदान के रूप में, और 30% अन्य कार्यकलापों के लिए मुक्त है, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहलें शामिल हैं। पीएम-प्रणाम के लिए कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है और स्कीम को रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी से उत्पन्न उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाता है। आज तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई प्रोत्साहन राशि वितरित नहीं की गई है।

सरकार ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) को मंजूरी दी है, जिसके तहत गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित ऑर्गेनिक कार्बन संवधकों, अर्थात किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) और ऑर्गेनिक उर्वरक, अर्थात फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) के प्रोत्साहन के लिए सीबीजी संयंत्रों/उर्वरक विपणन कंपनियों को 1500 रुपये प्रति एमटी की सहायता प्रदान की जाती है।

उर्वरक सब्सिडी खरीदार को बिक्री केंद्र(पीओएस) आधार पर उर्वरक उत्पादक कंपनियों को जारी की जाती है और कोई राज्य-विशिष्ट वास्तविक लक्ष्य, बजट/आवंटन/निधि जारी नहीं की जाती है।
